

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 16/2023

1. शान्तिदेवी पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 2 केवाईडी तह: खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीया

1. अनवर खां पुत्र सुगना जाति ढाढी नि: 2 केवाईडी तह: खाजूवाला
2. महबूब अली पुत्र गनीखां जाति ढाढी नि: 2 केवाईडी तह: खाजूवाला
3. मंजूरा पत्नि गनीखां जाति ढाढी नि: 2 केवाईडी तह: खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :-

दिनांक :- 09.02.24

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता, अप्रार्थी सं0 2 के दादा व अप्रार्थी सं0 3 के ससूर सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जोकि अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1,2,3 में चिपता रास्ता है। प्रार्थीया की भूमि मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर की भूमि के किला नं0 1 ता 3 में चालू रास्ता है जो प्रार्थीया की भूमि में प्रवेश करने के लिए प्रार्थीया के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 के टच होता है जो कि वर्तमान में चालू है जिसे प्रार्थीया उपयोग में लेती है इसके अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को डाक द्वारा नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 03.07.23 अनुसार प्रार्थीया शान्तिदेवी के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। किला नं0 1 ता 3 में उतर दिशा में 2-2 रास्ता प्रार्थीया स्वीकृत करवाना चाहती है। पूर्व में उक्त रकबा पर किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 रास्ता चलता है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 6 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थीया से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल-दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 16/2023

1. शान्तिदेवी पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 2 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीया

1. अनवर खां पुत्र सुगना जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
2. महबूब अली पुत्र गनीखां जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
3. मंजूरा पत्नि गनीखां जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :-

दिनांक :- 09.02.24

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता, अप्रार्थी सं0 2 के दादा व अप्रार्थी सं0 3 के ससूर सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जोकि अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1,2,3 में चिपता रास्ता है। प्रार्थीया की भूमि मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर की भूमि के किला नं0 1 ता 3 में चालू रास्ता है जो प्रार्थीया की भूमि में प्रवेश करने के लिए प्रार्थीया के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 के टच होता है जो कि वर्तमान में चालू है जिसे प्रार्थीया उपयोग में लेती है इसके अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को डाक द्वारा नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 03.07.23 अनुसार प्रार्थीया शान्तिदेवी के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। किला नं0 1 ता 3 में उतर दिशा में 2-2 रास्ता प्रार्थीया स्वीकृत करवाना चाहती है। पूर्व में उक्त रकबा पर किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 रास्ता चलता है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 6 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थीया से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल-दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 16/2023

1. शान्तिदेवी पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 2 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीया

1. अनवर खां पुत्र सुगना जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
2. महबूब अली पुत्र गनीखां जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
3. मंजूरा पत्नि गनीखां जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

-: आदेश :- दिनांक :- 09.02.24

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता, अप्रार्थी सं0 2 के दादा व अप्रार्थी सं0 3 के ससूर सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जोकि अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1,2,3 में चिपता रास्ता है। प्रार्थीया की भूमि मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर की भूमि के किला नं0 1 ता 3 में चालू रास्ता है जो प्रार्थीया की भूमि में प्रवेश करने के लिए प्रार्थीया के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 के टच होता है जो कि वर्तमान में चालू है जिसे प्रार्थीया उपयोग में लेती है इसके अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को डाक द्वारा नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 03.07.23 अनुसार प्रार्थीया शान्तिदेवी के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। किला नं0 1 ता 3 में उतर दिशा में 2-2 रास्ता प्रार्थीया स्वीकृत करवाना चाहती है। पूर्व में उक्त रकबा पर किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 रास्ता चलता है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 6 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थीया से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल-दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 16/2023

1. शान्तिदेवी पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 2 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीया

1. अनवर खां पुत्र सुगना जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
2. महबूब अली पुत्र गनीखां जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
3. मंजूरा पत्नि गनीखां जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :-

दिनांक :- 09.02.24

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता, अप्रार्थी सं0 2 के दादा व अप्रार्थी सं0 3 के ससूर सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जोकि अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1,2,3 में चिपता रास्ता है। प्रार्थीया की भूमि मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर की भूमि के किला नं0 1 ता 3 में चालू रास्ता है जो प्रार्थीया की भूमि में प्रवेश करने के लिए प्रार्थीया के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 के टच होता है जो कि वर्तमान में चालू है जिसे प्रार्थीया उपयोग में लेती है इसके अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को डाक द्वारा नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 03.07.23 अनुसार प्रार्थीया शान्तिदेवी के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। किला नं0 1 ता 3 में उतर दिशा में 2-2 रास्ता प्रार्थीया स्वीकृत करवाना चाहती है। पूर्व में उक्त रकबा पर किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 रास्ता चलता है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 6 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थीया से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल-दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 16/2023

1. शान्तिदेवी पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 2 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीया

1. अनवर खां पुत्र सुगना जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
2. महबूब अली पुत्र गनीखां जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
3. मंजूरा पत्नि गनीखां जाति ढाढी निः 2 केवाईडी तहः खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :-

दिनांक :- 09.02.24

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता, अप्रार्थी सं0 2 के दादा व अप्रार्थी सं0 3 के ससूर सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जोकि अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1,2,3 में चिपता रास्ता है। प्रार्थीया की भूमि मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण के पिता/दादा/ससूर की भूमि के किला नं0 1 ता 3 में चालू रास्ता है जो प्रार्थीया की भूमि में प्रवेश करने के लिए प्रार्थीया के मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 4 के टच होता है जो कि वर्तमान में चालू है जिसे प्रार्थीया उपयोग में लेती है इसके अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को डाक द्वारा नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 03.07.23 अनुसार प्रार्थीया शान्तिदेवी के नाम चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.2529 है0 इसप्रकार 1.5174 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सुगना पुत्र सकतू नाम से मुरब्बा नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 में कुल 4.6786 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। किला नं0 1 ता 3 में उतर दिशा में 2-2 रास्ता प्रार्थीया स्वीकृत करवाना चाहती है। पूर्व में उक्त रकबा पर किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 रास्ता चलता है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/50 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 6 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थीया से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल-दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)